निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 630/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मांगी पत्नी प्रभात जाति अहीर, निवासी ग्राम चकदलेलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रार्थी

वनाम

पीठासीन अधिकारी, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 17/2025 व–उनवानी मांगी देवी वनाम सरकार को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थित:

1. श्री पंकज कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुशील कुमार यादव, अधिवक्ता प्रार्थी श्री बुद्धराम की ओर से उपस्थित।

निर्णय दिनांक 09.03.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 17/2025 व–उनवानी मांगी देवी वनाम सरकार विचाराधीन है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर से विन्दूवार टिप्पणी तलव की गई। प्रार्थी बुद्धराम की ओर से श्री सुशील कुमार यादव, अधिवक्ता ने शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा प्रस्तुत किया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 30.09.2005 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 15 के क्रम में प्रार्थिया के नाम दर्ज व अंकित है। इस प्रकार प्रार्थिया उक्त भूमि पर खरीद दिनांक से ही लगातार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं पटवारी हल्का नांगल कोजू द्वारा अपने पदीय दायित्व के विपरीत जाकर प्रार्थिया को विना साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर दिए विना उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थिया के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से का नामान्तकरण संख्या 5 शुद्धि पत्र के आधार पर खातेदारी कम कर अन्य खातेदार अकलेश, रेखा, रचना, ऋतु एवं माली देवी के हक में लगा दिया गया। उक्त नामान्तकरण को प्रार्थिया द्वारा सक्षम न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष अपील संख्या 45/2024 उनवानी मांगी देवी वनाम माली देवी व अन्य में चुनौती दिए जाने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ द्वारा अप्रार्थी की उपस्थिति में दिनांक 22.07.2025 को नामान्तकरण संख्या

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

5 शुद्धि पत्र को निरस्त कर दिया, जिसकी सूचना प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को दिए जाने के उपरांत स्वयं को सदोष लाभ प्राप्त करने एवं प्रार्थिया को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से उक्त भूमि का बंटवारे का नामान्तरकरण दिनांक 25.07.2025 को खोल दिया गया। उक्त संपूर्ण तथ्यों की जानकारी होने के उपरांत भी पीठासीन अधिकारी एवं पटवारी हल्का नांगल कोजू द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, बंटवारा नामान्तकरण खोला जाकर प्रार्थिया की खातेदारी भूमि को खुर्द–बुर्द किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शुद्धि पत्र नामान्तकरण संख्या 5 का बेजा फायदा उठाते हुए अकलेश द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि को बुद्धराम को बेचान कर दिया, जिससे अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी उत्पन्न हो गई है। नामान्तकरण संख्या 5 सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कर रिमाण्ड किये जाने के उपरांत भी पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 17/2025 उनवानी मांगी देवी बनाम सरकार अंतर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर सुनवाई की जा रही है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थिया की खातेदारी भूमि ग्राम चकदलेलपुरा उपतहसील खेजरोली के अंतर्गत आती है, इस प्रकार उक्त ग्राम में नामान्तकरण के संबंध में विवाद होने पर उपतहसीलदार खेजरोली को ही सुन कर निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पीठासीन अधिकारी प्रार्थी से द्वेषता रखते है तथा ऐन केन प्रकारेण प्रार्थिया को नुकसान पहुंचाने के आशय से बिना क्षेत्राधिकार के नामान्तकरण संख्या 5 के माध्यम से खातेदारी भूमि कम कर अन्य खातेदारों के नाम जोड़ दी गई है। प्रार्थिया द्वारा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ द्वारा दिनांक 22.07.2025 को पारित निर्णय की पालना बाबत अनुतोष चाहने हेतु न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को नोटिस जारी कर न्यायालय आदेश की पालना सुनिश्चित किए जाने के आदेश दिए गए, तदुपरांत भी आज दिनांक तक नामान्तकरण संख्या 5 के पश्चात की समस्त कार्यवाही निरस्त नहीं की गई। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पटवार हल्का द्वारा दिनांक 07.08.2025 को जांच रिपोर्ट मय प्रार्थना पत्र पेश कर नामान्तकरण संख्या 5 के पश्चात की समस्त कार्यवाहियों के बाबत मार्गदर्शन चाहा है, इसके संबंध में भी अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण दर्ज करने के पश्चात किसी भी पक्षकार को नोटिस जारी नहीं किए गए ना ही नोटिस जारी किए जाने के संबंध में आदेशिका पर भी किसी प्रकार को कोई अंकन नहीं किया गया है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रार्थिया की भूमि ग्राम चकदलेलपुरा में स्थित होने से उपतहसील खेजरोली के क्षेत्राधिकार में होने से नामान्तकरण के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त वाद विवाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपतहसीलदार खेजरोली को होने से प्रकरण को सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 03.09.2025 को ऐलानिया धमकी दी कि प्रार्थिया द्वारा नामान्तकरण संख्या 5 को निरस्त करवाने के उपरांत भी नामान्तकरण संख्या 5 की किसी भी कार्यवाही को मेरे द्वारा निरस्त नहीं किया गया बल्कि भूमि का बंटवारा नामान्तकरण भी मेरे द्वारा तस्दीक कर दिया गया है। तुम्हे जो करना है वो कर लो, मैं शुद्धि नामान्तकरण संख्या 5 में की गई कार्यवाही को बहाल करके रहूंगा, चाहे मुझे क्षेत्राधिकार हो या ना हो। इस प्रकार प्रार्थिया को अधीनस्थ न्यायालय की कार्यशैली से पूर्ण अंदेशा हो गया कि प्रार्थिया को उक्त न्यायालय से न्याय नहीं मिल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना न्याय एवं प्रशासन में स्थापित विधिक सिद्धांतो की पालना में आवश्यकीय है। विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों की पालना में जहां :– When applicant has doubt that he will not get the justice by presiding officer of the court case should be transferred to the other court. As it is not sufficient that justice has been done. It should appear to the parties that justice has been

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

done. 2011 RRD-627 जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की सूरत में एवं रिजनेबल एवं वेलिड आधार मौजूद हो वहां प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किए जाने में ही सुविधा का संतुलन होने की सूरत में प्रकरण को मुंतकिल किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी बुद्धराम द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसके संबंध में उल्लेख करना आवश्यक है कि शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र वाद में उल्लेखित पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकते है, जबकि बुद्धराम उक्त प्रकरण में पक्षकार ही संयोजित नहीं है। दौराने विचारण वाद बुद्धराम पुत्र मोहन लाल ने उक्त भूमि खरीद की है, ऐसी स्थिति में वाद विचाराधीन रहते किसी प्रकार का अंतरण धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत अवैध व शून्य है। इस प्रकार प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रार्थी बुद्धराम के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी मुंतकिल प्रार्थना पत्र में जानबूझकर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी जरिये वकालतनामा उपस्थित हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है, प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जा रहा है, प्रार्थिया को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है, तो अन्य किसी समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरित करने में प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभाति अवलोकन किया गया।

तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। चूंकि न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, परंतु न्याय किया जा रहा है, ऐसा लगना भी चाहिए। प्रार्थी बुद्धराम के अधिवक्ता एवं तहसीलदार चौमूं द्वारा भी प्रकरण को अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरित करने पर अनापत्ति प्रस्तुत की है, अतः न्यायहित में मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय तहसीलदार चौमूं के समक्ष विचाराधीन प्रकरण 17/2025 ब–उनवानी मांगी देवी बनाम सरकार को न्यायालय तहसीलदार रामपुराडाबड़ी को स्थानान्तरित किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर एवं तहसीलदार रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner